हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी। CERT-35(B)

छात्र की जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार के लिए आवेदन
(आवेदक को फॉर्म अपनी लिखावट में बड़े अक्षर में भरना होगा)
(कृपया पिछले पृष्ठ पर दिए गए नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

प्रमाण–पत्र अनुसार विवरण		**जो सुधार छात्र चाहता है**
नाम		
पिता का नाम		
माता का नाम		
जन्मतिथि		
आधार संख्या		

1. परीक्षा का विवरण

परीक्षा	अनुक्रमांक	**सत्र एवं वर्ष**	**संस्थान का नाम/ निजी/ ओपनस्कूल**

त्रुटि का कारण (पूर्ण विवरण सहित).....
.....
.....
.....

दिनांक-_____

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन/प्रमाणन

विद्यालय के **दाखिला व खारिज** रजिस्टर कक्षा _____के अनुसार छात्र का नाम _____ है। जन्म की तारीख_____माता का नाम_____पिता का नाम_____ है।

अनुप्रमाण प्राधिकारी का नाम और पदनाम _____ मोबाइल :_____ ईमेल आईडी-_____	मोहर के साथ हस्ताक्षर (प्रमाणनप्राधिकारी)

मूल प्रमाण पत्र/ संशोधन के लिए संलग्न दस्तावेज- _____
_____

शुल्क राशि-_____ रसीद संख्या और दिनांक-_____

आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____	आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

CERT-35(B)

छात्र की जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार हेतु नियम :

1. जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार के लिए छात्र को निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित स्कूल के प्रमुख के माध्यम से सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को आवेदन करना होगा। सम्बन्धित स्कूल को अपने जोखिम/जिम्मेदारी पर मूल रिकॉर्ड व उसकी सत्यापित फोटोकॉपी यानी दाखिला व दाखिला रजिस्टर, प्रवेश पत्र और किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण–पत्र और पहले उत्तीर्ण कोर्स की परीक्षा का मूल प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।
2. निजी छात्र के रूप में इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अन्तिम बार उपस्थित हुए स्कूल के प्रमुख के माध्यम से सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा और आवेदन स्कूल द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. ओपन स्कूलिंग के उम्मीदवार के रूप में बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है और आवेदन मान्यता प्राप्त संस्थान/सरकारी विद्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
4. सभी प्रयोजनों के लिए बनाई गई संरचना के अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा। शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं होगा।
5. किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण–पत्र या जिला शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र (S.L.C.) बोर्ड को स्वीकार्य होगा।
6. विदेशों में स्थित और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों का मूल प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य होगा।
7. आवेदक मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उसे अनुलिपि प्रमाण–पत्र या इस आशय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि आवेदक आवेदन जमा करने के एक वर्ष के अन्दर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और यदि वह चाहता है कि उक्त अवधि के बाद उसके आवेदन पर फिर से विचार किया जाए तो उसे निर्धारित शुल्क व आवेदन–पत्र पुन कार्यालय में उपलब्ध करवाना होगा।
9. मिडिल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी प्रमाण–पत्र :

   स्कूल रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजो के आधार पर स्कूल के प्रमुख द्वारा विधिवत अग्रेषित आधार कार्ड नम्बर में सुधार के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है। अभ्यर्थी को इस आशय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामलों में जहां सुधार सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर किया जाना है, उम्मीदवार को समाचार–पत्र में सार्वजनिक सूचना की प्रति जमा करना होगी।

   प्रार्थी के प्रमाण–पत्रों में जन्मतिथि में प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 03 वर्षों तक सम्बन्धित परीक्षा शाखाओं द्वारा विद्यालय रिकार्ड के आधार पर शुद्धि की जाती है और इससे पूर्व जारी प्रमाण–पत्रों में शुद्धि प्रमाण–पत्र शाखा द्वारा विद्यालय रिकार्ड (बिना किसी कटिंग व छेड़छाड़ के) अथवा जन्म प्रमाण पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसैंस में से कोई एक सार्वजनिक दस्तावेज निर्धारित शुल्क व निर्धारित प्रोफार्मा (35-B) भरवाकर सम्बन्धित विद्यालय, जिसमें प्रार्थी द्वारा अन्तिम विद्यालय में पढ़ाई की हो, में सुधार के लिए निर्धारित आवेदन पर विचार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है।

   ऐसे मामले में जहां स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जन्मतिथि और आधार कार्ड में सुधार के सम्बन्ध में आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि सुधार को न्यायालय द्वार स्वीकार कर लिया गया हो।

   हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण–पत्र (H.T.E.T.) और D.El.Ed./D.El.Ed. प्रमाण–पत्र :

   जन्मतिथि में सुधार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण–पत्र (H.T.E.T.) और D.El.Ed./D.El.Ed. प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन केवल सैकेण्डरी प्रमाण–पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाएगा और आधार संख्या D.El.Ed./D.El.Ed. प्रमाण–पत्र में सुधार केवल आधार कार्ड के आधार किया जाएगा। केवल विवरण में संशोधन की अनुमति होगी, विवरण में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में परीक्षा के बाद आधार कार्ड में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। अन्य नियम शैक्षणिक व्यवस्था के अनुसार होंगे।
10. यदि किसी अभ्यर्थी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से मिडिल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसके आधार पर आगे की परीक्षाओं के प्रमाण–पत्रों में सुधार किया जा सकता है। कोई समय सीमा लागू नहीं है।

11. नियमों में स्थिरता के लिए प्रमाण–पत्र में सुधार के लिए आवेदन–पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर सम्बन्धित परीक्षा शाखा द्वारा विचार किया जाएगा। तीन वर्षों के बाद, आवेदन पर आगामी वर्षों के लिए प्रमाण–पत्र शाखा द्वारा विचार किया जाएगा, बशर्ते कि सम्बन्धित स्कूल रिकॉर्ड को टेम्पर्ड/ओवर राईट/हेरफेर न किया गया हो।

12.

(क) बोर्ड नियमों और विनयमों के अनुसार उचित सुधार उपरान्त पुराना प्रमाण–पत्र रद्द करने के बाद नया प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

(ख) प्रमाण–पत्र में सुधार के लिए प्रमाण–पत्र शुल्क रु 800/– (आठ सौ रूपए प्रति प्रमाण–पत्र) व रु 300/– (तीन सौ रूपए प्रति शुद्धि) या अधिकत्तम शुल्क रु 1400/– (चौदह सौ रूपए) एक से अधिक सुधार के लिए प्रति प्रमाण–पत्र लिया जाएगा। उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त एक मुश्त शुल्क निम्नप्रकार से होगा :

क्रम संख्या	प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से समयावधि	एक मुश्त जुर्माना शुल्क एवं शुद्धि शुल्क
01	प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 03 वर्ष से अधिक समय से लेकर 06 वर्ष तक	शून्य + निर्धारित शुद्धि शुल्क
02	प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 06 वर्ष से अधिक समय से लेकर 09 वर्ष तक	3000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क
03	प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 09 वर्ष से अधिक समय से लेकर 12 वर्ष तक	6000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क
04	प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 12 वर्ष से अधिक समय से लेकर 15 वर्ष तक	9000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क
05	प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 15 वर्ष से अधिक समय तक	10000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क

नोट : 1. पुनः जारी (Re-Issued)/शुद्धि उपरांत पुनः जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की कोई भी प्रति दस्ती (By Hand) लेने के लिए परीक्षार्थी से 500/– रूपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

2. यदि कोई आवेदक सेवा/नौकरी में कार्यरत है तथा जन्म तिथि/नाम परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसके प्रमाण–पत्र में संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई आवेदक सेवा/नौकरी में कार्यरत नहीं है तो उससे प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा शपथ–पत्र लेना होगा जिसमें लिखा होगा कि वह सेवा/नौकरी में कार्यरत नहीं है।

3. आवेदक के द्वारा आवेदन किए गए प्रमाण–पत्रों में प्रथम प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से जुर्माना राशि देनी होगी।

अन्य शर्तें बोर्ड के नियम/विनियमों, सरकार/शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप समय–समय पर हुए संशोधनों के अनुरूप रहेगी।